

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

यात्रा अग्रिम के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
 2. पद का नाम
 3. स्थाई क्रमांक
 4. मूल वेतन
 5. क्या वेतन महालेखाकार के कार्यालय से आहरित किया जा रहा है
 6. यात्रा पर जाने का स्थान
 7. अनुमोदित यात्रा का कार्यक्रम
 8. प्रस्थान का दिनांक
 9. यात्रा की अग्रिम राशि का विवरण :-
(क) किराया
 - (ख) दैनिक भत्ता
 - (ग) होटल चार्ज
10. माँगी गई अग्रिम की राशि
 11. क्या इससे पूर्व कोई यात्रा अग्रिम लिया है, यदि हाँ तो इस बावत् यात्रा दावा प्रस्तुत किया गया है।

वचन-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि यात्रा समाप्ति के 15 दिन के अन्दर नियमानुसार यात्रा दावा प्रस्तुत कर दूँगा। यदि मैं निर्धारित अवधि में यात्रा दावा प्रस्तुत नहीं कर सका तो सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 178 (2) के अनुसार मुझसे दण्ड सहित ब्याज की वसूली कर ली जावे।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रशासन-8 को प्रेषित।